"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 मार्च 2014— चैत्र 8, शक 1936

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-53/2014/वा. कर (आब.)/पांच (52). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) नियम 7(1) में शब्द समूह "चयन की सूचना के" के पश्चात्, शब्द समूह "तीन दिवस" के स्थान पर शब्द समूह, "तीन कार्यदिवस" प्रतिस्थापित किया जावे.

(2) नियम 11 के उप नियम (ख-1) तथा (ख-2) में शब्द समूह, "चयन की सूचना के" के पश्चात् शब्द समूह, "तीन दिवस" के स्थान पर शब्द समूह, "तीन कार्यदिवस" प्रतिस्थापित किया जावे.

(3) नियम 13 में शब्द समूह, "चयन की सूचना", के पश्चात्, शब्द "से" के स्थान पर, शब्द "के" प्रतिस्थापित किया जावे तथा शब्द समूह, "चयन की सूचना से" के पश्चात्, शब्द समूह "तीन दिवस" के स्थान पर, शब्द समूह "तीन कार्यदिवस" प्रतिस्थापित किया जावे.

(4) नियम 23 के उप नियम (1) (च) में शब्द एवं अंक, "रुपये 68/-" के स्थान पर शब्द एवं अंक, "रुपये 78/-" प्रतिस्थापित किया जावे.

2. उक्त संशोधन दिनांक 27-01-2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.